

सं०: एस-11011/2/2015-एसबीएम

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अनुभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 14.12.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

विषय: स्वच्छ भारत कोष प्रचालात्मक दिशा-निर्देश और प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मंत्रालय के दिनांक 18/06/2015 के संसंख्यक पत्र के अनुसरण में
यह सूचित है कि स्वच्छ भारत कोष के प्रस्तावों के साथ ग्राम पंचायत-वार निष्क्रिय शौचालयों
की पूर्ण सूची भी प्रस्तुत करें।

1. एसबीके से प्राप्त निधियों का अलग यूसी तथा एएसए भी आवश्यक हो सकता है। अतः यह
अनुरोध है कि इस कार्य हेतु अलग खाता खोलें। इस बैंक खाते का पूर्ण विवरण(नाम, पता,
आईएफसी, एमआईसीआर) तथा परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी का नाम भी भेजें।
2. आईएमआईएस पर एसबीके निधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु
अलग माइयूल तैयार किया जा रहा है।

भवदीया,

—
(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1. एसबीएम(जी) राज्य समन्वयक, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

प्रति प्रेषित

निदेशक(एनआईसी)- मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने हेतु।